

प्रेषक,

जिला आबकारी अधिकारी,
पिथौरागढ़।

सेवा में,

उप आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून। (आई0टी0)

संख्या- 692/ जि0आब0अधि0-पिथौ0/ 23025-26 दिनांक मार्च 17 2026

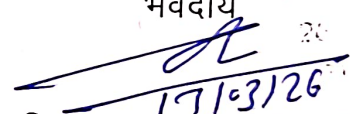
विषय :- वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विवर्षीय) हेतु फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-2513/सात लाई0-एस-48/आब0नीति/वर्ष 2025-26 दिनांक मार्च 11, 2026 के क्रम में उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025-26 (त्रिवर्षीय) के तहत जनसम्वत् 2025 अन्तर्गत अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों एवं नवसृजित मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन लॉटरी के माध्यम से दिये जाने हेतु विज्ञप्ति दिनांक 16.03.2026 एवं आयुतालय से निर्गत विज्ञप्ति संख्या-25639/सात लाई0-48/आबकारी नीति-2025/देहरादून दिनांक मार्च 16, 2026 तथा पत्र संख्या-25686/सात लाई0-एस-46/आब0 नीति/वर्ष 2025-26/देहरादून दिनांक मार्च 16, 2026 की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि कृपया संलग्न प्रपत्रों विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु अपलोड करने का कष्ट करें।
संलग्न-उक्तानुसार।

भवदीय


17/03/26
जिला आबकारी अधिकारी,
पिथौरागढ़।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी पिथौरागढ़।

विज्ञापित

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-176/XXIIA-1/2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली, वर्ष 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-45/XXIIA-1/2024ई-80688/2025 देहरादून दिनांक 03 फरवरी, 2026 एवं आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या-22958/सात0लाई-48/व्यव0/2026-27/2027-28/ सा0निर्देश/व्यवस्थापन/देहरादून दिनांक 03.02.2026 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विवर्षीय) हेतु नवीनीकरण के पश्चात् अव्यवस्थापित निम्न देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी के माध्यम से किये जाने हेतु विवरण निम्नानुसार है :-

जनपद- पिथौरागढ़ वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु अव्यवस्थापित/नवसृजित विदेशी मदिरा दुकानों एवं देशी मदिरा दुकानों के राजस्व निर्धारण विवरण															
		वर्ष 2026-27 का कुल निर्धारित राजस्व।						वर्ष 2027-28 का कुल निर्धारित राजस्व।							
क. सं.	दुकान का नाम	प्रकार	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुज्ञापन शुल्क	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेत कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित हैसियत की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रतिभूति की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु अनुज्ञापन शुल्क	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेत कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित हैसियत की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु प्रतिभूति की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 निर्धारित कुल राजस्व	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल निर्धारित धरोहर धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	डीडीहाट	वि0म0	70915630	709000	70206630	10637345	5850553	73752255	738000	73014255	11062838	6084521	144667885	28933358	
2	मुनस्यारी	वि0म0	30893401	309000	30584401	4634010	2548700	32129137	321000	31808137	4819371	2650678	63022538	1260451	
3	जौलजीबी	वि0म0	20220953	202000	20018953	3033143	1668246	21029791	210000	20819791	3154469	1734983	41250744	825015	
4	बुंगाछीना	वि0म0	11415854	114000	11301854	1712378	941821	11872488	119000	11753488	1780873	979457	23288342	465767	
5	जौरासी	वि0म0	7845872	78000	7767872	1176881	647323	8159707	82000	8077707	1223956	673142	16005579	320112	
6	मदकोट	वि0म0	13000000	130000	12870000	1950000	1072500	13520000	135000	13385000	2028000	1115417	26520000	530400	
7	देवलथल	वि0म0	6201329	62000	6139329	930199	511611	6449382	64000	6385382	967407	532115	12650711	253014	
8	डूगी/दिम्प(नवसृजित)	वि0म0	18500000	185000	18315000	2775000	1526250	19815000	198000	19617000	2972250	1634750	38315000	766300	
9	खिरमाण्डे (नवसृजित)	वि0म0	18500000	185000	18315000	2775000	1526250	19815000	198000	19617000	2972250	1634750	38315000	766300	
10	खांकर (नवसृजित)	वि0म0	18500000	185000	18315000	2775000	1526250	19815000	198000	19617000	2972250	1634750	38315000	766300	
11	तवाघाट (नवसृजित)	वि0म0	23000000	230000	22770000	3450000	1897500	24495000	245000	24250000	3674250	2020833	47495000	949900	
12	जौलजीबी	वि0म0	2601000	26000	2575000	390150	214583	2653020	27000	2626020	397953	218835	5254020	105080	
13	धारचूला रोड पिथौरागढ़ (नवसृजित)	वि0म0	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11285000	113000	11172000	1692750	931000	21785000	435700	
14	जाजरदेवल (नवसृजित)	वि0म0	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11285000	113000	11172000	1692750	931000	21785000	435700	
15	बलुवाकोट (नवसृजित)	वि0म0	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11284584	113000	11171584	1692688	930965	21784584	435692	
16	ओगला (नवसृजित)	वि0म0	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11285000	113000	11172000	1692750	931000	21785000	435700	
17	सुवातेख (नवसृजित)	वि0म0	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11285000	113000	11172000	1692750	931000	21785000	435700	
18	मुनस्यारी (नवसृजित)	वि0म0	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11285022	113000	11172022	1692753	931002	21785022	435700	

[Signature]
16/03/26

19	बनकोट (नक्सुजित)	दे0म0	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11285000	113000	11172000	1692750	931000	21785000	435700
20	उडियासिंधैण्ड / चौकोडी (नक्सुजित)	दे0म0	10400000	104000	10296000	1560000	858000	11183000	112000	11071000	1677450	922583	21583000	431660
21	तेजम (नक्सुजित)	दे0म0	10100000	101000	9999000	1515000	833250	10877000	109000	10768000	1631550	897333	20977000	419540
22	वासवागड़ (नक्सुजित)	दे0म0	9397575	94000	9303573	1409636	775298	10168526	102000	10066524	1525279	838877	19566097	391322
योग :-			344991614	34499000	341542612	51748742	28461884	364728912	3649000	361079910	54709337	30089993	709720522	14194410

उक्त मंदिर की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों (पात्र आवेदकों) से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व-प्रमाणित छायाप्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप (जी0-39) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)/एफ0डी0आर0 (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत) एवं निर्धारित धरोहर धनराशि व प्रक्रिया शुल्क (नॉन रिफ़न्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आबकारी नीति घोषित होने तिथि के बाद जारी) जो कि जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ के पक्ष में देय हो सहित आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्ष का आई0टी0आर0 प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15 करोड़ या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख तथा 10 करोड़ से 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 07 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मंदिर दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 05 लाख, विगत वर्ष की आई0टी0आर0 प्रमाण-पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है।

उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.uttarakhandexcise.org.in अथवा www.ulk.nic.in एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

उक्त अव्यवस्थापित एवं नव सृजित विदेशी एवं देशी मंदिर दुकानों के आवेदन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार आबकारी आयुक्त/ जिलाधिकारी/ लार्डसेंसिंग प्राधिकारी/ आवंटन समिति का होगा।


जिला आबकारी अधिकारी,
पिथौरागढ़।

कार्यालय आवकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
संख्या: 25639/सात लाई-48/आवकारी नीति-2025/देहरादून: दिनांक: मार्च, 16, 2026
::सार्वजनिक विज्ञापन::

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन आवकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-176/XXIII.1/2025-04(01) /2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आवकारी नीति विषयक नियमावली-वर्ष 2025-28, 2026-27 व 2027-28 (त्रिपक्षीय आवकारी नीति) के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-43/XXIII.1/2024/ई-80688/2025 देहरादून: दिनांक 03, फरवरी, 2026 के क्रम में आवकारी आयुक्त के पत्र संख्या-22958/सातलाई-48/यव0/2026-27/2027-28/साठनिर्देश/व्यवस्थापन देहरादून: दिनांक 03.02.2026 के क्रम में वितीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विपक्षीय दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2028) की अवधि हेतु व्यवस्थापित/नवसृजित निम्न विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम ऑफर पर नीति में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु विवरण निम्नानुसार है। इच्छुक एवं अर्ह आवेदक निम्नांकित जनपदों में मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु निम्नवत निर्धारित तिथि, समय एवं प्रक्रिया द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.सं०	विवरण	दिनांक
1.	फुटकर मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु प्रथम चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	18.03.2026 व 19.03.2026 सांय 5 बजे तक
2.	प्रथम चरण की लॉटरी की तिथि	20.03.2026 की अपरान्ह 02.00 बजे तक
3.	प्रथम चरण की लॉटरी के पश्चात व्यवस्थापित मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु द्वितीय चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	22.03.2026 को अपरान्ह 02.00 बजे से प्रक्रिया की समाप्ति तक
4.	द्वितीय चरण की लॉटरी की तिथि	22.03.2026 को प्रक्रिया की समाप्ति तक
5.	द्वितीय चरण की लॉटरी के पश्चात प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर मदिरा दुकानों का आवंटन	23.03.2026 सम्पूर्ण कार्य दिवस
6.	प्रथम आवक प्रथम पावक के पश्चात अधिकतम ऑफर पर मदिरा दुकान का आवंटन हेतु आवेदन एवं आवंटन की तिथि एवं समय	24.03.2026 को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक ऑफर प्राप्त किये जायेंगे तथा प्राप्त ऑफर को आवकारी आयुक्त के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जायेंगे।

वितीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु मदिरा दुकानें जिन पर लॉटरी (प्रथम एवं द्वितीय चरण), प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम राजस्व ऑफर उपर्युक्त उल्लिखित समय सारणी के अनुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

जनपद	मदिरा दुकान का नाम व प्रकार
उत्तरकाशी	(1) विदेशी मदिरा दुकान आराकोट, (2) वि० म० हर्षिल/झाला (3) वि० म० सांकरी।
चम्पावत	(1) सीम चूका विदेशी मदिरा (नवसृजित) (2) बोटड़ी पनार विदेशी मदिरा (नवसृजित) (3) बालिक देशी (नवसृजित) (4) मंच देशी (नवसृजित)
उधमसिंहनगर	(1) देशी मदिरा दुकान सितारगंज चीनी मिल पीलीभीत रोड (2) दे०म०दु० मानपुर रोड (3) दे०म०दु० पूरनापुर-टेड़ाघाट (4) दे०म०दु० भगवन्तपुर अमानगढ़ रोड (5) दे०म०दु० अनाजमण्डी काशीपुर (6) दे०म०दु० धीमरखेड़ा (7) दे०म०दु० हल्दूआसाहू (8) दे०म०दु० मलसा गिरधरपुर रोड (नवसृजित) (9) दे०म०दु० जाफरपुर (नवसृजित) (10) दे०म०दु० चक्कीमोड़ (11) दे०म०दु० छिनकी किच्छा (नवसृजित) (12) दे०म०दु० बिन्दुखेड़ा रोड ग्राम दानपुर (नवसृजित) (13) दे०म०दु० पटिया कौधा असरफ (14) दे०म०दु० बानूसी (नवसृजित) (15) दे०म०दु० निकट खुरपिया फार्म किच्छा (नवसृजित) (16) दे०म०दु० पिपलिया घौरा डैम रोड (नवसृजित) (17) दे०म०दु० निकट परमानन्दपुर (नवसृजित) (18) दे०म०दु० सकैनिया रोड (19) दे०म०दु० प्रतापपुर 17 मील रोड (नवसृजित) (20) दे०म०दु० पिपलिया (बाजपुर) (नवसृजित) (21) दे०म०दु० निकट कोसी काँटा बाजपुर (नवसृजित) (22) दे०म०दु० दुकड़ी बिछुवा रोड नगला (23) दे०म०दु० सुन्पहर (24) दे०म०दु० बगियाघाट (नवसृजित) (25) विदेशी मदिरा दुकान किच्छा रोड सितारगंज (नवसृजित) (26) वि०म०दु० टनकपुर रोड खटीमा (नवसृजित) (27) वि०म०दु० चैती चौराहा (नवसृजित) (28) वि०म०दु० रम्पुरा रुद्रपुर (नवसृजित) (29) वि०म०दु० सिसैया निकट नेशनल हाईवे सितारगंज (30) वि०म०दु० बाजुपर दौराहा (31) वि०म०दु० इन्द्रा कालोनी (नवसृजित) (32) वि०म०दु० ढकिया गुलाबो (नवसृजित) (33) वि०म०दु० रामराज रोड निकट मण्डी गेट बाजपुर (नवसृजित) (34) वि०म०दु० छोई रोड (35) वि०म०दु० धनौरी-कैलामोड़ रोड (36) वि०म०दु० सकैनिया रोड (नवसृजित) (37) वि०म०दु० धीमर खेड़ा (38) वि०म०दु० सुल्तानपुर पट्टी (39) वि०म०दु० निकट खुरपिया फार्म किच्छा (नवसृजित) (40) वि०म०दु० पिपलिया घौरा डैम रोड (नवसृजित) (41) वि०म०दु० नादेही (42) वि०म०दु० निकट परमानन्दपुर (नवसृजित) (43) वि०म०दु० सुन्पहर
अल्मोड़ा	(1) विदेशी मदिरा दुकान पनुवानोला (2) वि०म०दु० धौलछीना (3) वि०म०दु० जालली (4) वि०म०दु० वयैरला (5) वि०म०दु० जौरासी (6) वि०म०दु० दौलाघट (नवसृजित) (7) वि०म०दु० खेड़ा (नवसृजित) (8) वि०म०दु० तिपोला (नवसृजित) (9) वि०म०दु० पनार (नवसृजित) (10) देशी मदिरा दुकान सोराल (11) दे०म०दु० पातली (नवसृजित) (12) दे०म०दु० जालली (नवसृजित)

पिथौरागढ़	(1) विदेशी मदिरा दुकान डीडीहाट (2) वि०म०दु० मुनसारी (3) वि०म०दु० जौलजीवी (4) वि०म०दु० बुगाछीना (5) वि०म०दु० जौराशी (6) वि०म०दु० मदनकोट (7) वि०म०दु० देवलथल (8) वि०म०दु० डूनी/टिग्टा (नवसृजित) (9) वि०म०दु० खिरमाण्डे (नवसृजित) (10) वि०म०दु० खांकर (नवसृजित) (11) वि०म०दु० तवाघाट (नवसृजित) (12) देशी मदिरा दुकान जौलजीवी (13) दे०म०दु० धारचूला रोड (नवसृजित) (14) दे०म०दु० जाजरदेवल (नवसृजित) (15) दे०म०दु० यलुवाकोट (नवसृजित) (16) दे०म०दु० ओगला (नवसृजित) (17) दे०म०दु० सुवालेख (नवसृजित) (18) दे०म०दु० मुनसारी (नवसृजित) (19) दे०म०दु० बनकोट (नवसृजित) (20) दे०म०दु० उडियारीगैण्ड/चौकोड़ी (नवसृजित) (21) दे०म०दु० तेजम (नवसृजित) (22) दे०म०दु० वांरावगड़ (नवसृजित)
पौड़ी गढ़वाल	(1) विदेशी मदिरा दुकान कोट (2) वि०म०दु० नैनीडांडा (3) वि०म०दु० पौखाल (4) वि०म०दु० व्यासघाट/सिल्लू तल्ला/उभरासूरोड (5) वि०म०दु० ढावखाल (6) वि०म०दु० दुधारखाल (7) वि०म०दु० रामणी/भरतनगर उत्तिका (8) वि०म०दु० कराणी
नैनीताल	(1) विदेशी मदिरा दुकान नैनीताल रोड न०-3 (वजून रो कालाढूंगी मार्ग) (नवसृजित) (2) वि०म०दु० काशीपुर रोड (रामनगर से काशीपुर मार्ग) (नवसृजित) (3) वि०म०दु० रामपुर रोड (पंचायत घर से गन्ना रोन्टर मार्ग) (नवसृजित) (4) वि०म०दु० मोहान रोड (ढिकुली रो मोहान रोड) (नवसृजित) (5) वि०म०दु० रातीघाट (नैनीताल) (नवसृजित) (6) देशी मदिरा दुकान गौलापार से चौरगलिया रोड (नवसृजित) (7) देशी मदिरा दुकान नैनीताल रोड न०-3 (वजून रो कालाढूंगी मार्ग) (नवसृजित) (8) देशी मदिरा दुकान मालधन रोड (निकट विदेशी मदिरा दुकान) (नवसृजित)

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड शासन आवकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-176/XXIII-1/2025-04(01)/2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आवकारी नीति विषयक नियमावली-वर्ष 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आवकारी नीति) के प्राविधान के अनुसार पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व-प्रमाणित छायाप्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप (जी०-39) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)/एफ०डी०आर० (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत), आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्ष का आई०टी०आर० प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15 करोड़ या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख तथा 10 करोड़ से 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 07 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 05 लाख, विगत वर्ष की आई०टी०आर० प्रमाण-पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है, एवं निर्धारित धरोहर धनराशि जो कि वार्षिक निर्धारित राजस्व (EMD), (दोनों वर्षों के कुल राजस्व का 02 प्रतिशत के बराबर की धनराशि) व प्रक्रिया शुल्क रु० 65,000 (नॉन रिफण्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आवकारी नीति घोषित होने तिथि के बाद जारी) जो कि सम्बन्धित जनपद के जिला आवकारी अधिकारी, के पद नाम से देय होगा जो कि सम्बन्धित जनपद की शाखा में Payable स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक आवकारी नीति विषयक नियमावली-2025 (त्रिवर्षीय) के उपबन्धों के अनुसार आवंटन के नियमों एवं शर्तों से भिन्न हो। दुकान आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय आवकारी आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार आवकारी आयुक्त/जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.uttarakhandexcise.org.in अथवा www.uk.nic.in व कार्यालय आवकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, 15/1 गांधी रोड देहरादून एवं सम्बन्धित जनपद के कार्यालय जिला आवकारी अधिकारी, तथा क्षेत्रीय आवकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(प्रभाशंकर मिश्रा)

उप आवकारी आयुक्त,

कृते आवकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।

संख्या: 25640-44/सात लाई०-48/आवकारी नीति-2025/देहरादून: तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आवकारी उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर/संयुक्त/उप आवकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला आवकारी अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नवीनीकरण के पश्चात अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों की सूची वार्षिक राजस्व सहित एवं अन्य औपचारिकताओं के व्योरे सहित आवकारी नीति विषयक नियमावली, 2025-26, 2026-27 व 2027-28 के अनुरूप विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, उत्तर उजाला, पंजाब केसरी व अंग्रेजी दैनिक द पायनियर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उत्तराखंड प्रादेशिक संस्करण में दिनांक 17.03.2025 को न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु विल कार्यालय आवकारी आयुक्त उत्तराखंड को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(प्रभाशंकर मिश्रा)

उप आवकारी आयुक्त,

कृते आवकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।